



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124443

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18990 वर्ष 2026

शैलेंद्र सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : कैलाश नाथ सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 78 वर्ष 2026, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8, 21, पुलिस स्टेशन जफराबाद, जिला जौनपुर के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को 51 ग्राम 'हेरोइन' (निषिद्ध पदार्थ) की बरामदगी के आधार पर फंसाया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है और इसे आवेदक ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 18.04.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर कर दी गई है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।



4. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को देखते हुए, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक-शैलेंद्र सिंह, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा और



संबंधित वकील द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 31.01.2023 को दिए गए (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए जमानत देने के लिए नीति रणनीति, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

1 जून, 2026